भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †5070
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

मध्य प्रदेश में जिला खनिज फाउंडेशन का कार्यान्वयन

†5070. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार खनन प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर मध्य प्रदेश में कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) का कार्यान्वयन कर रही है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने डीएमएफ के लाभों को खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कटनी और पन्ना जिलों और खजुराहो शहर तक पहुंचाया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस फाउंडेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख में देश के प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान है जो खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित होते हैं। डीएमएफ के तहत कार्यान्वित विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों से खनन कार्यकलापों से प्रभावित लोग और क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। आज की स्थिति के अनुसार देश भर के 23 राज्यों में कुल 645 डीएमएफ स्थापित किए जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटनी, पन्ना और छतरपुर, जिसमें खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का खजुराहो शहर भी शामिल है,सहित राज्य के सभी 52 खनन जिलों

में डीएमएफ की स्थापना की गई है। इन जिलों द्वारा डीएमएफ निधि के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्र. सं. | जिला | स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या | कुल आवंटित राशि (करोड़ में) | व्यय की गई कुल राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छतरपुर | 17 | 46.41 | 36.03 |
| 2 | कटनी | 233 | 98.43 | 67.53 |
| 3 | पन्ना | 107 | 50.98 | 47.25 |

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में 'प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)' दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे इन्हें डीएमएफ के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में शामिल करें। इसके अलावा, पीएमकेकेकेवाई के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के प्रभाव में सुधार करने, कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने और पीएमकेकेकेवाई योजना कार्यक्रम के दायरे को व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी, 2024 में संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताओं में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में डीएमएफ निधि का कम से कम 70% उपयोग और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा डीएमएफ खातों की अनिवार्य लेखापरीक्षा शामिल है।

*****